एक नजर में

बंधक बनाने का आरोप

खतौली : झारखंड के जिला कूड़ा के गांव बसंतपुरा निवासी संजीदा गुरुवार को पुत्र और रिश्तेदार के साथ थाने पहुंची। उसने बताया कि जनवरी में उसकी बेटी आफरीन की शादी कस्बे के एक युवक के साथ हुई थी। उसकी बेटी से बात नहीं कराई जा रही थी। उसने फोन पर पति द्वारा उसे बंधक बनाकर रखने के बारे में बताया। पुलिस ने शिकायत पर विवाहिता को बरामद किया और उसे थाने लेकर आई। इस दौरान उसका पति फरार हो गया।

बाइक गिरने से घायल

खतौली : फलावदा मार्ग पर पमनावली पुलिस चौकी क्षेत्र में सड़क पर फैली कीचड़ के कारण बाइक फिसलकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार राजा गांव नावला घायल हो गया। घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

रुपये चुराए

खतौली : कस्बा निवासी प्रमोद कुमार की जानसठ रोड पर गन्ना समिति की मार्केट में सेनेट्री की दुकान है। शाम सात बजे दुकान बंद कर घर जा रहे थे। रेलवे रोड स्थित शिवमूर्ति मंदिर के पास सब्जी खरीदते समय किसी ने उनके 15 हजार रुपये साफ कर दिए। व्यापारी ने रुपये न मिलने पर इधर-उधर तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।-संस

स्वागत किया

पुरकाजी : कस्बे में भारतीय किसान यूनियन लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल यादव का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका संगठन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत है। -संवू।

युद्ध समस्या का समाधान नहीं, शांति वार्ता से निकालें हल

दरगाह ए आलिया बाबुल हवाईज में मजलिस शुरू, मौलानाओं ने हलाल रोजी अपनाने की दी नसीहत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : दरगाह ए आलिया बाबुल हवाईज में चार दिवसीय मजलिस का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर मजलिस को सुना। वक्ताओं ने हलाल रोजी अपनाने, ईमानदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलने की नसीहत दी, वहीं कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, इससे केवल और केवल तबाही होती है। उन्होंने विश्व के नेताओं से अपील की कि विवादों का हल एक टेबल पर बैठकर शांति वार्ता के जरिए निकाला जाए, जिससे की पूरी दुनिया में अमन चैन कायम हो सके। मजलिस में देश और दुनिया में अमन चैन की खुशहाली के साथ शांति स्थापित होने की दुआ की गई।

दरगाह ए आलिया बाबुल हवाईज में मजलिस को संबोधित करते मौलाना ● सौ. संस्था

बघरा स्थित दरगाह ए आलिया बाबुल हवाईज में मजलिस को संबोधित करते हुए शिया पर्सनल ला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी एवं प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है, जो मानवता, न्याय और भाईचारे की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मजहब को हुकूमतों और सत्ता के नजरिए से समझने की कोशिश की, उनकी वजह से इस्लाम की वास्तविक छवि को नुकसान पहुंचा है।

पहली मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना सलमान हैदर ने मौजूदा हालात पर विस्तार से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि इससे केवल तबाही, जान माल का नुकसान और इंसानी त्रासदी जन्म लेती है।

दूसरी मजलिस में मौलाना नवाजिश रजा ने अपने खिताब में कहा कि हर इंसान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि उसकी पहचान हुसैनी किरदार से हो। इनसे पहले मजलिस की शुरुआत डा. हसन मेहंदी ने पवित्र कुरान शरीफ की तिलावत से की। जीशान अली ने बताया कि मजलिस का यह सिलसिला चार दिन तक चलेगा। इसमें हिंदुस्तान के मशहूर ओ मारूफ मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। मजलिस में विभिन्न उलमा और धर्मगुरु अपने विचार रखेंगे। बड़ी संख्या में आए अकीदतमंद दरगाह ए आलिया में चार दिन तक रुकेंगे। इनका इंतजाम कमेटी द्वारा किया गया है।

पूर्व राज्य मंत्री ईसा रजा, मोहम्मद मेहंदी, मौलाना गुलजार अब्बास, मौलाना इब्ने अब्बास, मौलाना फैज अब्बास, मौलाना जीनान असगर ने मजलिस को खिताब किया। सभी अतिथियों का स्वागत अंजुमन आरफी ने किया। कमेटी के अध्यक्ष सरताज हुसैन, महासचिव आस मोहम्मद, अकबर अब्बास, हाशिम, डा. हसन मेहंदी मौजूद रहे।

पुलिस चौकी में प्रेमी युगल का विवाह, स्वजन रहे मौजूद

- स्वजन की मौजूदगी में पुलिस बनी घराती-बराती, दिया नेग
- गुरुवार को प्रेमिका से मिलने आया था युवक, पकड़े जाने पर हुआ ड्रामा

संवाद सूत्र, जागरण ● रोहना : प्रेमिका से मिलने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसको लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दोपहर को प्रेमी युगल के स्वजन भी चौकी पर पहुंच गए। दोनों के एक ही जाति से होने के चलते स्वजन विवाह के लिए राजी हो गए। इसके बाद पुलिस चौकी में ही जयमाला हुई और दोनों का विवाह कराया गया। पुलिसकर्मी घराती और बराती बनने के साथ खान-पान की व्यवस्था में लग गए। नवयुगल को नेग देकर जीवन की नई पारी शुरू करने की शुभकामना दी गई और विदा किया गया।

छपार के रामपुर तिराहा के मुहल्ला सुंदरनगर निवासी रोहन का नगर कोतवाली के गांव मलीरा निवासी युवती प्रियंका के साथ दो वर्षों से प्रेम-प्रसंग था। गुरुवार को रोहन प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। उसे पड़ोसियों ने देख लिया और पकड़ लिया। उसके भागने की आशंका को लेकर बाइक का पेट्रोल भी निकाल लिया। ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। हंगामे की स्थिति बनने पर रोहन ने स्वजन को फोन पर सूचना दी। इससे पहले ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रोहना पुलिस चौकी प्रभारी मोहित कुमार युवक को चौकी पर ले आए और पूछताछ की। कुछ देर बाद युवक-युवती के स्वजन भी चौकी पर पहुंच गए। पहले तो दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव बना रहा। टकराव की स्थिति बन गई। उसके बाद दोनों के एक ही जाति से होने के चलते स्वजन विवाह के लिए राजी हो गए। तत्काल ही पुलिस चौकी में शहनाई बज उठी। दारोगा मोहित कुमार ने प्रेमी युगल के लिए जयमाला मंगवाकर दोनों का विवाह कराया। चौकी प्रभारी दारोगा मोहित ने बताया कि जयमाला पहनाई गई थी। विवाह की शेष रस्म दोनों के स्वजन आपस में मिलकर पूर्ण कराएंगे। दोनों पक्षों में सहमति के बाद प्रेमी युगल को विदा किया गया।

रोहाना पुलिस चौकी पर प्रेमी युगल ने एक-दूसरे को पहनाई माला ● जागरण

भाकियू तोमर ने किया रेल की पटरी पर पंचायत का एलान

संवाद सूत्र, जागरण ● ककरौली : गांव रूडकली में शानू पहलवान के आवास पर भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। सभा में उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और कहा कि जनपद के अधिकारी यूरिया खाद की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा सरकार का किसानों की ओर ध्यान नहीं है। खालिद को युवा ब्लाक अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उन्होंने किसानों से अपील की कि 16 जून को भाकियू तोमर रेलवे ट्रैक पर महापंचायत करेगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने का आह्वान किया गया। इस दौरान पवन त्यागी, शहजाद मलिक, दीपक तोमर आदि उपस्थित रहे।

फर्जी हथियार बरामदगी में आज आ सकता है निर्णय

रामपुर तिराहा कांड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : रामपुर तिराहा के सरकार बनाम ब्रजकिशोर प्रकरण में न्यायालय ने निर्णय के लिए पांच जून की तिथि लगाई है। फर्जी हथियार बरामदगी के प्रकरण में निर्णय शुक्रवार को आ सकता है। यह मुकदमा एसीजेएम-प्रथम, विशेष सीबीआइ न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तराखंड संघर्ष समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग वर्मा, रजनीश चौहान ने आंदोलनकारियों से हथियार बरामदगी दिखाने के मामले का एसीजेएम-प्रथम, विशेष सीबीआइ न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र फौजदार के न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे में थाना झिंझाना के तत्कालीन एसएचओ ब्रजकिशोर, तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल उमेश चंद और अनिल कुमार आरोपित हैं। आरोप था कि तत्कालीन थाना प्रभारी झिंझाना ब्रजकिशोर ने आंदोलनकारियों से फर्जी तरीके से अवैध हथियारों की बरामदगी दिखाई थी। इस मुकदमे में निर्णय के लिए शुक्रवार की तिथि लगी है। उधर, सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेदी प्रकरण में नौ जून की तिथि लगी है। इस मामले में सीबीआइ द्वारा न्यायालय में मूल पत्रावली की प्रतिलिपि को लेकर बहस चल रही है। बचाव पक्ष प्रतिलिपि को सही नहीं ठहरा रहा है। सीबीआइ ने तर्क दिया है कि प्रतिलिपि मूल पत्रावली की सत्यापित है।

फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही, मानदेय पर लगाई रोक

संवाद सहयोगी जागरण ● खतौली : खंड विकास क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सहयोग न करने और प्रगति शून्य रहने के कारण पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अग्रिम आदेशों तक उनके जून का मानदेय आहरित करने पर रोक लगा दी गई है।

एसडीएम डा. ललित कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन द्वारा संचालित योजना के तहत प्रत्येक किसान की फार्मर रजिस्ट्री का अभियान चल रहा है। डीएम उमेश मिश्रा ने प्रत्येक किसान की शत प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रतिदिन अधिकारियों द्वारा जूम मीटिंग कर प्रगति की जानकारी ली जाती है। कर्मचारियों को किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए गांव आवंटित किए गए हैं।

लापरवाही के चलते पंचायत सहायक मीनाक्षी बुआड़ा खुर्द, कमलजीत जंघेड़ी जाटान, शिवम जोहरा, शिवकुमार यूसुफपुर पिपलहेड़ा, काजल इस्लामाबाद, मानसी खेड़ी तगान, और परवेज रामपुर पर कार्रवाई की गई है।

अवैध कालोनियों पर चला बुलडोजर, गिराया निर्माण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की टीम ने पांच स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों पर कार्रवाई की। लगभग 77 बीघा भूमि पर यह कालोनी बनाई जा रही थी। इनका नक्शा पारित नहीं था। टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के साथ सील लगाई है।

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि गुरुवार को सहायक अभियंता भरत पाल सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार, राजीव कोहली समेत कर्मचारियों की टीम बनाकर गांव कूकड़ा के निकट रजवाहा पटरी पर भोपा रोड पर लगभग छह बीघा भूमि में सुनीता राठी, श्याम बंसल तथा मांगेराम, अंकित बंसल द्वारा दीनदयाल स्कूल के सामने बाला जी मंदिर के पास भोपा रोड से पचेंडा रोड को जाने वाली सड़क किनारे लगभग पांच बीघा, रमेश कुमार निवासी ग्राम कूकड़ा में लगभग 66 बीघा में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। गुरुवार को टीम ने कार्रवाई कर यहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। कच्ची सड़क पर मूसा द्वारा 400 वर्ग मीटर में अवैध रूप से निर्मित व्यावसायिक गोदाम एवं रामपुर तिराहे पर उज्जीवन बैंक के पीछे सरकारी नाली पर मंदिर के बगल में निर्मित दो व्यावासायिक दुकानों को सील किया गया।

अवैध निर्माण को ध्वस्त करती एमडीए की जेसीबी● सौ. विभाग

इन सभी लोगों को पूर्व में नोटिस देकर चेताया गया था, उसके बाद भी अवैध निर्माण की कार्रवाई को रोका नहीं गया था।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने वितरित किए पौधे

संवाद सूत्र, जागरण छपार : विश्व पर्यावरण दिवस पर घर-घर पौधे लगाए जाएंगे। भाजपाई इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। गुरुवार को भाजपाइयों ने शक्ति केंद्रों पर पौधों का वितरण किया। ग्रामीणों से शुक्रवार को मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की गई। शुक्रवार को देशभर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर रोहाना मंडल के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने रामपुर तिराहा, सिसौना, रेई, बढेडी, रोहाना, बहेडी, बड़कली, बघाई, मलीरा आदि में सभी शक्ति केंद्रों पर पौधों का वितरण किया। भाजपा नेता लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।

मां बहन ○○○

फिल्म रिव्यू

मुख्य कलाकार : माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा, रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह, शार्दुल भारद्वाज

निर्देशक : सुरेश त्रिवेणी

अवधि : दो घंटे सात मिनट **प्रसारण प्लेटफार्म :** नेटफ्लिक्स

संकीर्ण सोच पर प्रहार

तुम्हारी सुलू और जलसा जैसी फिल्मों में महिलाओं को सशक्त अंदाज में दिखा चुके निर्देशक सुरेश त्रिवेणी फिर एक नए ढंग की कहानी मां बहन फिल्म में लेकर आए हैं।

फिल्म में आदर्श कालोनी में रहने वाली रेखा (माधुरी दीक्षित) और उसकी दो बेटियों जया (तृप्ति डिमरी) और सुषमा (धारण दुर्गा) की कहानी है। पति की मृत्यु के बाद रेखा घर चलाने के लिए कभी साइबर कैफे चलाती है तो कभी कुछ और करती है। अंत में वह वाइन की दुकान पर काम करती है। जया शादीशुदा है, मां बनना चाहती है, लेकिन आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन-आधुनिक प्रजनन तकनीक) के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ सुषमा, जया के पति यानी अपने जीजा (शार्दुल भारद्वाज) के साथ रील बनाकर वायरल होना चाहती है। एक दिन रेखा रात में रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को फोन करती है कि उसके घर में पड़ोसी गुप्ता जी (रवि किशन) की मौत हो गई है। आगे की कहानी के लिए फिल्म देखनी होगी।

माधुरी दीक्षित रेखा की भूमिका को शानदार ढंग से निभाती हैं चित्र सौ: फिल्म टीम

निर्देशक सुरेश त्रिवेणी ने पूजा तोलानी के साथ मिलकर कहानी लिखी है और महिला पात्रों को नए ढंग से गढ़ा है। घर में बिना किसी पुरुष के रह रही महिलाओं को केमिस्ट की दुकान की सोच, उनका अपना सोच, कपड़ों को देखकर चरित्र पर सवाल उठा देना, एक महिला का ही दूसरी महिला को डायन कहना... जैसे मुद्दों को समेटने का प्रयास किया है। सुरेश ने स्टाइलिश ढंग से पात्रों को स्थापित करने के लिए छोटे-छोटे सीन बनाए हैं, जैसे पति के जाने के बाद रेखा जमीन पर गिरे एक पैंफलेट पर चलकर जाती है, जिस पर लिखा है- क्या आप अकेले हैं? या रेखा, जया और सुषमा के लिए घर की दीवारें पर लोगों द्वारा लिखे गंदे सोच को साफ करने वाले सीन हों। क्लाइमेक्स महिलाओं को अबला नारी वाले जोन में नहीं ले जाता।

हालांकि, कई दृश्य फिल्म को भटका भी देते हैं, जैसे अकेलेपन के कारण रेखा का दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना और गर्भवती हो जाना, पर्दा उठने के बाद पुरुष का ठग निकल जाना। इस पूरे सीन का औचित्य समझ नहीं आता है। कफ सीरप पिलाकर बेहोश करने का आइडिया भी अटपटा है।

माधुरी दीक्षित रेखा के पात्र को मजबूती से पकड़कर रखती हैं। पुरुषों की बुरी नजरों का सामना, अकेलेपन की पीड़ा और डायन जैसे नाम मन में रखकर चेहरे पर बिंदास महिला का मुखौटा और दो बेटियों की मां होने की चुनौती को वह बखूबी निभाती हैं। जया की भूमिका में तृप्ति डिमरी प्रभावित करती हैं। गुप्ता जी के रोल में रवि किशन चौंकाते हैं। जीजा जी की भूमिका में शार्दुल भारद्वाज का काम बढ़िया है। गुप्ता आंटी की भूमिका में गीतांजलि कुलकर्णी मजेदार हैं। पुलिस अफसर के छोटे से रोल में अरुणोदय सिंह याद रह जाते हैं।

प्रियंका सिंह

रस्म तेरहवीं

श्री विजय सिंह जी

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूज्य पिताजी श्री विजय सिंह जी (सुपुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ सिंह जी) का स्वर्गवास दिनांक 23.05.2026, दिन शनिवार को हो गया। प्रभु की इच्छा ही थी।

उनकी रस्म तेरहवीं दिनांक 05.06.2026 शुक्रवार को निम्न कार्यक्रमानुसार होनी निश्चित हुई है।

हवन- प्रातः 09 बजे (निवास स्थान)
ब्रह्मभोज- प्रातः 11.30 बजे (निवास स्थान)
प्रसाद- दोपहर 12.30 बजे
(स्थान : राधा गोविंद मण्डप, गढरोड, मेरठ)

निवास स्थान : एल-563 शास्त्री नगर, मेरठ

शोकाकुल
राम कृष्ण सिंह : 9205456066
राधा कृष्ण सिंह : 8971111599

रस्म पगड़ी

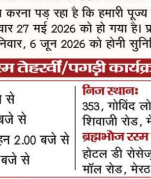

श्रीमती शशिबाला रस्तोगी जी

अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूज्य माताजी शशिबाला रस्तोगी जी का स्वर्गवास बुधवार 27 मई 2026 को हो गया है। प्रभु की ऐसी इच्छा थी। आरिष्टी शनिवार, 6 जून 2026 को होनी सुनिश्चित हुई है।

रस्म तेहरवीं/पगड़ी कार्यक्रम

हवन : प्रातः 8:00 बजे से
ब्रह्मभोज : अपराह्न 12.30 बजे से
भजन एवं श्रद्धांजलि : अपराहन 2.00 बजे से
रस्म पगड़ी : अपराह्न 3.00 बजे से

निज स्थानः 353, गोविंद लोक शिवाजी रोड, मेरठ
ब्रह्मभोज रस्म पगड़ी होटल डी रोसेज़, मॉल रोड, मेरठ
104, Cariappa Rd, Meerut Cantt Uttar Pradesh 250001- (Near St Mary's Academy)

शोकाकुल परिवार

श्री श्रीराम रस्तोगी (पति)
संजय रस्तोगी-सलोनी रस्तोगी (पुत्र-पुत्रवधु)
डॉ अतुल रस्तोगी-डॉ शालिनी रस्तोगी (पुत्र-पुत्रवधु)
सीमा-श्री ज्ञानेन्द्र दुबलिश (पुत्री-दामाद)
यश, हर्षित, आयुष, डॉ0 अनुषा (पौत्र व पौत्री)
कृतिका, आकांशा (धेवती)

प्रतिष्ठानः
संजीव रस्तोगी, मनोज रस्तोगी
रचित, ऋषभ, प्रिया, तनीशा, काव्यांश,
983718 1100, 98370 65135
समस्त रस्तोगी परिवार

M/s श्रीराम रस्तोगी, नवीन मण्डी मेरठ
श्रीराम ऑर्थोपेडिक सेंटर
श्री राम पैथोलॉजी लेब
M/s राम गोपाल, नवीन मण्डी मेरठ
M/s संजीव ट्रेडर्स, नवीन मण्डी मेरठ

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
..... भरोसे का प्रतीक! ... the name you can BANK upon!
ARMB: सर्किल कार्यालय भवन #प्लॉट नं. 01, शाकुंतलम आवास विकास कॉलोनी सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर (यू.पी.) E-Mail: cs8284@pnb.bank.in

परिशिष्ट - IV-A (नियम 8 (6) SARFAESI, 2002 का परंतुक देखें) अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना -

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए। इसके द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/गारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा (EMD) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होंगे।

सुरक्षित आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटरों का नाम और पता	गिरवी रखी गई चल और अचल संपत्ति का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति/संपत्तियों के गिरवी रखने वाले)	A) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख B) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि C) 30.04.2026 तक वर्तमान बकाया राशि D) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख E) कब्जे का प्रकार: सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	a) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) b) EMD c) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भारों का विवरण जो सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात हैं
1.	बीओ: MMG शामली SOL ID: 182200 1. सुश्री नितिशा भारद्वाज पुत्री श्री कैलाश चंद (श्रीमती शशि प्रभा - उधारकर्ता/बंधककर्ता की कानूनी वारिस) 2. श्रीमती माधुरी वर्मा पत्नी श्री राजेंद्र (गारंटर)	स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा पत्नी स्वर्गीय श्री कैलाश चंद के नाम पर एक आवासीय मकान, जो खसरा संख्या 222 और 223, मोहल्ला न्यू मंडी, ब्लॉक के पास, शामली परगना, तहसील और जिला शामली में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 100.37 वर्ग मीटर है (जिसमें से 6.69 वर्ग मीटर बेचा गया क्षेत्र है और 93.68 वर्ग मीटर गिरवी रखा गया क्षेत्र है)। यह विवरण विक्रय विलेख संख्या 6956 के अनुसार है, जो 05.06.2013 को उप-रजिस्ट्रार शामली के कार्यालय में बही 1, खंड संख्या 3555, पृष्ठ संख्या 375 से 398 पर पंजीकृत किया गया था। संपूर्ण संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 100.37 वर्ग मीटर है, की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: 20 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: जगमेर सिंह आदि का प्लॉट, उत्तर: श्रीमती गुड्डी के कब्जे वाला प्लॉट और श्रीमती राजेश के कब्जे वाला प्लॉट, दक्षिण: जगमेर सिंह आदि का प्लॉट।	A) 03.09.2025 B) Rs. 24,45,123.30 दिनांक 31.08.2025 तक + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 25,71,413.30 + 01.05.2026 से आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 05.12.2025 E) सांकेतिक कब्जा	a) 33.10 लाख रुपये b) 3.31 लाख रुपये c) 0.40 लाख रुपये	23.06.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
2.	बीओ: जलालाबाद SOL ID: 071000 1. श्री अकरम पुत्र श्री असगर (उधारकर्ता) 2. श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह (गारंटर) 3. मो. अशफाक पुत्र श्री सईद अहमद (गारंटर)	श्री अकरम, पुत्र श्री असगर के नाम पर एक आवासीय मकान, जो खसरा संख्या 189, ग्राम इसनपुर सुहाना, जलालाबाद, परगना थानाभवन, तहसील शामली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 327.60 वर्ग मीटर है। यह 29.12.2018 को उप-रजिस्ट्रार शामली के कार्यालय में बही 1, खंड संख्या 6292, पृष्ठ संख्या 199 से 222 पर क्रम संख्या 14489 पर पंजीकृत किया गया था। इस संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: सड़क का प्लॉट, पश्चिम: अकरम और इरफान का प्लॉट, उत्तर: 5 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: हनीफ का प्लॉट और मरिज्जद जुज।	A) 04.07.2024 B) Rs. 35,82,115.55 दिनांक 31.05.2024 तक + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 43,04,660.55 + 01.05.2026 से आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 21.09.2024 E) सांकेतिक कब्जा	a) 42.30 लाख रुपये b) 4.23 लाख रुपये c) 0.50 लाख रुपये	23.06.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें

यह बिक्री 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002' में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी, और शर्तों में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के भी अधीन होगी:
1. संपत्तियों की बिक्री 'जैसी है, जहाँ है', 'जैसी है, वैसी है', और 'जो कुछ भी है, उसी आधार पर' के आधार पर की जा रही है।
2. ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार यथासंभव सही दिया गया है, तथापि, इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान, या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 23.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संपन्न की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com देखें।

दिनांक: 02.06.2026 स्थान: मुजफ्फरनगर अधिकृत अधिकारी (पंजाब नैशनल बैंक)